

झारखंड कैमरून में फँसे श्रमकों की सहायता करेगा

चर्चा में क्यों?

झारखंड के मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद कैमरून में फँसे झारखंड के 47 प्रवासी श्रमकों के समूह को उनके वेतन का आंशिक भुगतान प्राप्त हो गया है।

मुख्य बंदि

■ लंबित वेतन और कानूनी गैर-अनुपालन:

- कैमरून में मेसर्स ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड द्वारा नयोजित श्रमकों ने तीन महीने से वेतन का भुगतान न किये जाने का आरोप लगाया।
- झारखंड के मुख्यमंत्री ने श्रम आयुक्त को नियोक्ताओं और बचौलियों के वरिद्ध [प्रथम सूचना रिपोर्ट \(FIR\)](#) दर्ज करने का निर्देश दिया।
- FIR में [अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम, 1979 के उल्लंघन](#) का उल्लेख किया गया है, जिसमें पंजीकरण या अपेक्षित लाइसेंस के बिना श्रमकों को वदेश भेजना भी शामिल है।
- झारखंड के हजारीबाग, बोकारो और गरिडीह जिलों में FIR दर्ज की गई।

■ वेतन भुगतान अद्यतन:

- ट्रांसरेल लाइटिंग ने कहा कि श्रमकों को प्रति माह 100 अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया गया था तथा शेष राशि उनके भारतीय खातों में स्थानांतरित करने का वादा किया गया था।
- श्रम विभाग ने कंपनी से अनुबंध, वेतन रिकॉर्ड और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
- आवश्यक कार्रवाई के लिये [प्रवासी संरक्षक \(POE\)](#) और अन्य प्राधिकारियों को पत्र भेजा गया है।

■ कूटनीतिक प्रयास:

- भारतीय उच्चायोग और [वदेश मंत्रालय](#) कंपनी और फँसे हुए श्रमकों के बीच बातचीत को सक्रिय रूप से सुवर्धित बना रहे हैं।
- नियंत्रण कक्ष की टीम श्रमकों और अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये उनके साथ संपर्क बनाए हुए है।
- अधिकारियों ने चेतावनी दी कि पूर्ण वेतन का भुगतान न करने पर [ठेकेदारों के साथ समझौते रद्द किये जा सकते हैं](#)।

■ हस्तक्षेप के पछिले मामले:

- जुलाई 2024 में, मुख्यमंत्री ने कैमरून से 27 फँसे श्रमकों को वापस लाने के लिये हस्तक्षेप किया।
- मलेशिया में फँसे 50 श्रमकों को वापस लाने के प्रयास जारी हैं, जो वशिखापत्तनम पहुँच चुके हैं और उनके शीघ्र ही घर लौटने की आशा है।

अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979

- इस अधिनियम का उद्देश्य अंतर-राज्यीय प्रवासियों के रोजगार और उनकी सेवा की शर्तों को वनियमित करना है।
- यह प्रत्येक ऐसे प्रतष्ठान पर लागू होता है जो [अन्य राज्यों से आए पाँच या अधिक प्रवासी कर्मकारों को नयोजित करता है](#) अथवा यदि उसने [पछिले 12 महीनों में किसी भी दिन पाँच या अधिक ऐसे कर्मकारों को नयोजित किया हो](#)।
- यह उन ठेकेदारों पर भी लागू होता है जिनोंने समान संख्या में अंतर-राज्यीय श्रमकों को रोजगार दिया हो।
- इसमें ऐसे प्रतष्ठानों के पंजीकरण की व्यवस्था की परकिल्पना की गई है। मुख्य नियोक्ता को संबंधित प्राधिकारी से पंजीकरण प्रमाण-पत्र के बिना अंतरराज्यीय श्रमकों को नयुक्त करने से प्रतबिंधित किया गया है।
- कानून में यह भी प्रावधान है कि [प्रत्येक ठेकेदार जो एक राज्य से दूसरे राज्य में तैनाती के लिये श्रमकों की भरती करता है, उसे ऐसा करने के लिये लाइसेंस प्राप्त करना होगा](#)।

